

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि / 2024 / 5999

अनूपपुर, दिनांक 13 09 2024

प्रति,

कलेक्टर जिला अनूपपुर (म०प्र०)

विषय :- अनूपपुर एवं डिंडौरी जिले के अंतर्गत कपिलधारा में बैराज / छोटाबांध निर्माण के कार्य हेतु बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण एप्को से संतुति / अभिमत बावत्। संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 488 / स्टेनो / 2024 दिनांक 09 अगस्त 2024

---000----

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर परिषद अमरकंटक में अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत स्वीकृत पेयजल योजना के तहत कपिलधारा क्षेत्र में कपिलधारा डेम प्रस्तावित है, जिसमें 17.418 हे. वनभूमि (अनूपपुर वन मण्डल के 3.418 हे. एवं डिण्डौरी वन मण्डल के 14.00 हे.) प्रभावित हो रही है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.12.2023 से उक्त प्रकरण बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत होने से अभिमत चाहा गया है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफो) के पत्र क्रमांक / 3938 दिनांक 29.07.2024 से वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर एवं संबंधितों से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं। जारी निर्देश के अंतिम पैरा बायोस्फियर रिजर्व के Legal Framework के संबंध में वर्ष 2007 की मार्गदर्शिका के कंडिका 7.7(2) के पैरा 03 के अनुसार यह दर्शित है कि "At present BRs are established within the framework of existing laws including Wildlife (Protection) Act, 1972. The respective State Governments can examine rules and regulations specifically for BRs, if existing laws are Inadequate to deal with the requirements of the Biosphere Reserves" एवं बायोस्फियर रिजर्व मार्गदर्शिका वर्ष 2010 के कंडिका क्रमांक J. Legal Status of BR के अनुसार दर्शित है कि "Designation of site as Biopshere Reserve does not affect the legal status of the land, forests and regulations for natural resources and their ownership continue to remain unchanged."

उपरोक्त जारी दिशा—निर्देश के अनुक्रम में सहमति प्रदान की जाती है एवं अन्य संबंधितों से भी अभिमत प्राप्त करने का कष्ट करें।

(श्रद्धा पन्द्रे (भा.व.से.) वन मण्डलाधिकारी न मण्डल अनुपपुर